न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 87/2019/अपील

सावा देवी पत्नी रामजीलाल स्वामी जाति स्वामी निवासी किशोरपुरा उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2 उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.2019 प्रकरण संख्या 102/2019 अनुवानी सरकार बनाम सावा देवी द्वारा उप तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः—31.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि चुनौतिग्रस्त निर्णय में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 0.37 हैक्टर वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के किसी भी भू भाग पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा नही है, ना ही खसरा नम्बर 89 की भूमि सरकारी भूमि है बल्कि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज भूमि है अर्थात स्वीकृत रूप से निजी भूमि है जिस पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के राजस्व (ग्रप—6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक 3(2) राज0—6/2007/पार्ट/5/जयपुर दिनांक 12.09.2018 को आधार बनाकार धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही गलत रूप से की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवायी का समुचित अवसर नही दिया, जबकि सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में भिन्न प्रकार से है ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में भूमि पुराना खसरा नम्बर 55, 56, 46 अवस्थित है, जिनमें से खसरा नम्बर 55 के नये खसरा नम्बर 84, 85, 86 राजस्व रिकार्ड में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किये गये है उक्त पुराना खसरा नम्बर 55 की भूमि आबादी भूमि है जिसके दक्षिण में सींवाजोड दक्षिण में पुराना खसरा नम्बर 56 अवस्थित है। वर्तमान खसरा नम्बर 87, 88, 89 भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बनाये गये है तथा पुराना खसरा नम्बर 56 की भूमि की खातेदारी द्वितीय भू—प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान ही बिना किसी सक्षम आदेश के मूर्ति मंदिर के नाम से दर्ज है, जबकि पूर्व में निजी खातेदारान की खातेदारी में दर्ज थी तथा अपीलांट ने पुराना खसरा नम्बर 55 के काबिज स्वामी पट्टाधारी मूली देवी पत्नी कैलाश चन्द वर्मा से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। जिसमें दुकान व मकान बने हुए थे अर्थात् द्वितीय भू—प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व से ही आबादी भूमि पुराना खसरा नम्बर 55 में अवस्थित पट्टाशुदा आबादी भूमि पुराना पर कब्जा एवं आवासीय मकानात व व्यवसायिक दुकानात का निर्माण किया हुआ है जो कि पुराना खसरा नम्बर 55 में है। पुराना खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 56 में नही है। परन्तु अपीलांट का पुराना खसरा नम्बर 56 के वर्तमान खसरा नम्बर 89 रकबा 0.37 हैक्टर में 170 वर्गमीटर पर अनाधिकृत कब्जा बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधीनस्थ हल्का पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिसमें अपीलांट द्वारा संवत 2075 में 170 वर्गमीटर पर कब्जा करके आवास व दुकाने बनाने का गलत आरोप लगाया, जबकि अपीलांट का उक्त निर्माण द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के पूर्व का है। जो कि पुराना खसरा नम्बर 55 में है। उक्त रिपोर्ट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण के रूप में दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी कर दिया। उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट ने पुराना खसरा नम्बर 55 व 56 के पुराना व नया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा की नकल प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के पुराना खसरा नम्बर 56 के वर्तमान खसरा नम्बर 89 का नक्शा, पुराना नक्शा के अनुसार नही बनाकर बड़ा बना दिया व पुराना खसरा नम्बर 55 के वर्तमान खसरा नम्बरान 86 का नक्शा छोटा बना दिया जो कि एक क्लरीकल मिस्टेक है तथा पूर्व की परिविष्टियो में परिवर्तन करने का भू–प्रबन्ध विभाग को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था बल्कि प्रविष्टियों के रिपिटेशन का ही अधिकार था ना ही बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियो को परिवर्तित किया जा सकता है। उक्त गलत अंकन की अपीलांट को जानकारी हुई तब अपीलांट ने रिकार्ड दुरूस्ती का दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष पुस्तुत किया, जो कि विचाराधीन है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त राजस्व रिकार्ड एवं दुरूस्ती दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहा, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही प्रकरण को निर्णित कर दिया। अपीलांट का निर्माण वर्षो पुराना है, जो कि अपीलांट के स्वामित्व की पट्टाशुदा भूमिखण्ड में है जिसकी अपीलांट पूर्ण स्वामिनी है जिसके संबंध में चुनौतिग्रस्त निर्णय गलत पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ का निर्णय जेर अपील दिनांक 17.06.2019 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रिजस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ एवं जवाब नोटिस पेश किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 89 रकबा 0.37 है0 किस्म बा.2 में से 170 वर्गमीटर भूमि पर आवास व दुकाने बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि "प्रकरण में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5187/2019 रिछपाल बनाम राज0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 के कम में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 65 से 74, 80, 87 से 89 कुल किता 14 कुल रकबा 4.82 है0 की जांच कर माफी मन्दिर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर विधिपूर्ण कार्यवाही कर अतिक्रमण को 15 दिवस में नियमानुसार हटाया जाकर पालना रिपोर्ट मय फोटोग्राफ भिजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को उक्त उक्त पत्र की पालना हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश की पालना में ग्राम किशोरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 65 से 74, 80, 87 से 89 पर अतिक्रमण की जांच हेतु भू0अ0निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान, पटवारी हल्का खटकड़/किशोरपुरा एवं पटवारी हल्का चीपलाटा की टीम गठित कर जांच करवाई जाकर उपरोक्त भूमि का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया। अतिक्रमित भूमि के सम्बंध में अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि का पट्टा व अन्य दस्तावेजात की प्रतिंया पेश की। प्रस्तुत दस्तावेजात (पट्टा आदि) में उक्त खसरा नम्बर का अंकन नहीं है। अतिक्रमी द्वारा ग्राम किशोरपुरा के खसरा नम्बर 89 की भूमि पर दुकान व गोदाम बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो जमाबन्दी में मन्दिर माफी के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित हैं। अतः मन्दिर माफी की भूमि पर अतिक्रमी का अनाधिकृत अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।" अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि माफी मन्दिर की भूमि है जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त बेदखली आदेश दिनांक 17.06.2019 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

31/10/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर